U.P. ARCHITECTS ASSOCIATION®

Regd. Under the Societies (Uttar Pradesh Amendment 1975) Act 1860 Since 1987

A2304, Charms Castel, Raj Nagar Extension, Ghaziabad-201017 +91-9837393793 www.uparchitects.org

PRESIDENT
AR. JAGESH KUMAR
2, Prem Prayag Colony, Garh Road,
Meerut - 250 004
Mob.: +91-9837393793

GENERAL SECRETARY
AR. ANKIT AGARWAL
1st Floor, S2S, Nirmal Arcade 47,
Garh Road, Meerut - 250002
Mob.: +91-9997847510

PATRON
AR. YOGESH CHANDRA
Ghaziabad
(+91-9897177196)

I.P.P.
AR. VINEET GARG
Noida
(+91-9999082099)

VICE PRESIDENT

AR. ANKUR BANSAL
Meerut
(+91-9837081156)

AR. N.K. SHARMA
Ghaziabad
(+91-9810200635)

AR. VIPUL GUPTA
Noida
(+91-9350859500)

AR. VINAYAK GUPTA
Moradabad
(+91-9359438900)

TREASURER
AR. AMIT AGARWAL
Agra
(+91-9837016747)

JOINT SECRETARY
AR. AKSHAT GARG
Moradabad
(+91-9927208888)

CO-ORDINATOR
AR. CHIRAG GUPTA
Meerut
(+91-892712131)

पत्रांक संख्या: UPAA/ACS/H/DA/2023/L-116
दिनांक: 20 सितम्बर 2023

सेवा में
अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी योजना विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

विषय:- उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन (UPAA) को विकास प्राधिकरण एवं विनियमित प्राधिकरण के नीतिगत निर्णयों में आवश्यक परामर्श हेतु सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन (यूपीएए) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत संस्था है। यूपीएए उत्तर प्रदेश में आर्किटेक्ट्स के लगभग बीस घटक शहरी चैप्टरों का संगठित मंच है, जिसमें प्रदेश के लगभग सभी शहरों से वास्तुविद सदस्य हैं, जो सम्बंधित विभिन्न विषयों पर अपने विचार हमेशा रखते रहे हैं, क्योंकि यूपीएए के मंच पर हर शहर के वास्तुविदों का प्रतिनिधित्व है, अतः यूपीएए उत्तर प्रदेश के सभी शहरी विकास एवं निर्माण से जुड़े विभिन्न विषयों एवं नीतियों पर परिष्कृत विचार एवं परामर्श को प्राप्त करने के लिए अति उपयुक्त संगठन हैं। अभी हाल ही में 9-10 सितम्बर को वाराणसी शहर में हुए यूपीएए के सम्मेलन में आपके द्वारा भी हमें संबोधित करते हुए, सरकार द्वारा कराये जा रहे विभिन्न कार्यों के बारे में अवगत कराया गया था।

For U.P. ARCHITECTS ASSOCIATION

Gen. Secretary

प्रदेश में संचालित विकास प्राधिकरण एवं विनियमित प्राधिकरण (Prescribed Authority) का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रत्येक स्तर पर विकास कार्य कराना है। ऐसे विकास कार्यो को करने हेतु उक्त संस्थाओ को कुछ नियम, उपनियम, मास्टर प्लान आदि तैयार करने पड़ते हैं। ऐसे नियम आदि तैयार करने में उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन (यूपीएए) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

उक्त प्राधिकरणों एवं यूपीएए के उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि यूपीएए, उक्त प्राधिकरणों के नीतिगत निर्णयों में अपने मंच के माध्यम से सहायता प्रदान करे, इसी मंतव्य के साथ यूपीएए के प्रतिनिधियों ने दिनांक 07/09/2023 को आपसे मुलाक़ात करके यूपीएए को उक्त प्राधिकरणों के नीतिगत निर्णयों में सुझावों को प्रदान करने हेतु परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रार्थना की थी, जिसमें आपसे उक्त प्राधिकरणों की नीतिगत निर्णयों से सम्बंधित होने वाली बैठकों, एवं नीतिगत निर्णयों हेतु विभिन्न सुझावों के लिए लिखे जाने वाले पत्रों में यूपीएए के नामित सदस्यों जैसे कि यूपीएए के अध्यक्ष अथवा/एवं उनके द्वारा नामित सदस्य को सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था।

आपके निर्देशानुसार उपरोक्त मंतव्य को आपके समक्ष इस पत्र के माध्यम से पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है कि विकास प्राधिकरण एवं विनियमित प्राधिकरण की नीतिगत निर्णयों से सम्बंधित होने वाली बैठकों, एवं नीतिगत निर्णयों हेतु विभिन्न सुझावों के लिए लिखे जाने वाले पत्रों में यूपीएए के नामित सदस्यों जैसे कि यूपीएए के अध्यक्ष अथवा/एवं उनके द्वारा नामित सदस्य को सम्मिलित किया जाए।

प्रार्थी इसके लिए आपके सदैव आभारी रहेंगे।

सादर

For U.P. ARCHITECTS ASSOCIATION

अंकित अग्रवाल (वास्तुविद)
महासचिव